HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 9488/2026
CNR: RJHC010677202026
URN: CRLMB / 20675U / 2026

Bhopal Singh S/o Guman Singh, Aged About 60 Years, R/o Guda Bhopa, Police Station Siriyari,district Pali, Rajasthan. (Presently Confined At Dist. Jail Pali)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dilip Singh Udawat Mr. Chandan Singh Jodha
For Respondent(s)	:	Mr. Surendra Bishnoi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

16/07/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना–**सिरियारी, पाली** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**178/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 333, 115(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त भोपाल सिंह 60 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक होकर निर्दोष है, वह दिनांक 30.10.2025 से अभिरक्षा में है। यह भी निवेदन किया कि पूर्व में प्रथम जमानत आवेदन महत्वपूर्ण गवाहान के बयान होने के बाद नवीन आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था, अब प्रकरण में आहतगण व परिवादी सहित कुल सात गवाहान के बयान हो चुके हैं, जिनके बयानों में विरोधाभास है, दोनों पक्षों के मध्य परस्पर मुकदमेबाजी रही है, परिवादी पक्ष के विरुद्ध भी धारा 326 भा.दं.सं. के अपराध में आरोप पत्र पेश हुआ है, शेष विचारण में

समय लगेगा। इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने पूर्ववर्ती रंजिश को लेकर परिवादिया के माता–पिता कंवरी देवी व चैनसिंह के साथ घातक हथियारों से मारपीट कर प्राणघातक चोट पहुंचाई तथा कारित चोटों के कारण चैनसिंह का पांव काटना पड़ा। पूर्व में प्रथम जमानत आवेदन खारिज करते समय महत्वपूर्ण गवाहान के कथन लेखबद्ध होने के पश्चात नवीन जमानत आवेदन पेश करने करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी, अब दोनों आहतगण व परिवादी सहित कुल सात गवाहान के बयान हो चुके हैं, अभियुक्त दिनांक 30.10.2025 से अभिरक्षा में है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **भोपाल सिंह पुत्र गुमान सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

64/Mittal/684